

खाता 111-128  
R.TA  
मिसल नं० 189/18

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर

दिनांक:- 18-5-2018

:: निर्णय ::

प-सं. 189/18

प्रार्थी श्री हरि 5/ लखवा

जति लखवा उम्र वयम नि० लखवा तहसील डूंगरपुर ने न्याय आपके द्वार अभियान 2018 लोक अदाजत 111-128 दिनांक 18-5-2018 को इस आशय का एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 ले०रे०एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की मौजा लखवा पंचायत समिति 584/18 में स्थित खाता संख्या 174 पर आराजी नं० 684/60/4 कुल 01 बीघा 08 बिस्वा किता 1 योग रकबा 1-08 बीघा पर प्रार्थी मालिक काबिज होकर कृषि काश्त करता आ रहा है और अप्रार्थीगण से आये दिन सीना (हेडे, पारी) की बात को लेकर विवाद होता है। करते हैं और लडाईं झगडा करते हैं। इस वजह से प्रार्थी अपनी उक्त आराजी पर पत्थरगढी कराना चाहता है जिस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ अप्रार्थी लखवा नि० लखवा ने भी पत्थरगढी करने की सहमति दी है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम लखवा की जमाबंदी सम्बन्ध 2013-76 की प्रमाणित प्रति भी संलग्न की है। खाता नं० 684/60/4

पत्रावली का गहन अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रार्थी द्वारा नक्शा ट्रेस एवं जमाबंदी प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार प्रार्थी खातेदार काश्तकार है और विपक्षीगणों द्वारा किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया गया एवं सहमति प्रदान की गई है। इस प्रकार मौजा लखवा में स्थित खाता संख्या 174 पर आराजी नं० 684/60/4 रकबा 01 बीघा 08 बीघा कुल किता 1 कुल रकबा 1-08 बीघा की पत्थर गढी कराने का हकदार है।

लिहाजा मौजा लखवा में स्थित खाता संख्या 174 पर आराजी नं० 684/60/4 रकबा 1-08 बीघा कुल किता 1 कुल रकबा 1-08 की पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदा, डूंगरपुर भू०अ० निरीक्षक लखवा के नैतृत्व में टीम गठीत कर बिना किसी अन्य खातेदार के खाते को डिस्टर्ब किये पत्थर गढी की जावे। तहसीलदार, डूंगरपुर को तहरीर जारी हो पत्थरगढी शुल्क रू० 600/- प्रार्थी स्वयं राजकोष में जमा करावे तभी पत्थरगढी की जावे। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

  
उपखण्ड अधिकारी  
डूंगरपुर